

सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 10.06.2024

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में सॉल्वर गैंग के 15,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 लैपटॉप, 01 लैपटॉप एडोप्टर तथा 01 मोबाइल फोन किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बढपुरा पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं इनामिया/वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिय गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 09.06.24 को थाना बढपुरा पुलिस टीम मु0अ0स0 10/2024 से वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु जनपद बलिया मे भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त मे वांछित इनामिया अभियुक्त मनोज कुमार महतो थाना नरही क्षेत्रान्तर्गत भरौली कस्बा मे मुख्य चौराहे पर कही जाने की फिराक मे खडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बढपुरा पुलिस टीम द्वारा 15,000/- रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त मनोज कुमार महतो पुत्र रंगलाल महतो को जनपद बलिया के थाना नरही क्षेत्रान्तर्गत कस्बा भरौली इंटर कॉलेज गेट के पास से समय 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 मोबाइल वीवो कम्पनी,01 लैपटॉप एचपी कम्पनी व 01 लैपटॉप एडोप्टर बरामद किये गये। अभियुक्त से कडाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि इसी लैपटॉप मे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के अभ्यर्थियों के विवरण तथा पैसै का लेन देन विवरण रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मनोज कुमार महतो पुत्र रंगलाल महतो निवासी ग्राम बौडहा माधोपुर थाना लौकहा जनपद मधुबनी बिहार **उम्र** 26 वर्ष ।

नोट:- दिनांक 19.02.24 को थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे 03 अभियुक्त लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार नि0 परसउआ थाना जसवन्त नगर इटावा, राजदीप पुत्र रणवीर सिंह नि0 नगला धीर थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद एवं हरी कुमार गुप्ता पुत्र इन्दल कुमार नि0 वार्ड न0 13 ,माधौपुर जिला मधुवनी थाना लोकहा विहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं अभियुक्त राज नारायण प्रताप यादव उर्फ जूली पुत्र कमलेश निवासी चकरौली थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा 16.05.24 को मा0 न्याया0 मे आत्मसमर्पण किया गया जा चुका है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 10/2024 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी व धारा 4/10 परीक्षा अधिनियम 1982 थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

